


(51)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर सांकिर्ल कोर्ट रीवा  
(म0प्र0) र६.३०/—



MS291-II/16

रामसहोदर तनय राममनोहर नाई निवासी ग्राम बिझौली तह0 हनुमना जिला  
रीवा म0प्र0 — आवेदक

बनाम

- 1- शोभा सिंह तनय वंशपती सिंह
- 2- प्रभाकर सिंह तनय शोभा सिंह
- 3- धर्मराज सिंह तनय शोभा सिंह

सभी निवासी ग्राम विझौली गहरवरान, तह0 हनुमना, जिला रीवा म0प्र0  
— अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र वावत पुनर्विलोकन किये जाने  
आदेश दिनांक 02/03/16 जो प्रकरण  
कमांक R/5217/15 में पारित हुआ, अन्तर्गत  
धारा 51 म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959 ई.

श्री. प्र. डी. के. प्रसाद सिन्हा  
द्वारा आज दिनांक 30/6/16  
प्रस्तुत किया गया।  
सांकिर्ल कोर्ट रीवा

मान्यवर,

आधार आवेदन रिव्यू निम्न प्रकार से है :-

- 1- यह कि पारित प्रश्नास्पद आदेश दिनांक 2/3/16 विधि व प्रक्रिया के विपरीत होने से स्थिर रखने योग्य नहीं है।
- 2- यह कि उक्त प्रकरण में सुनवाई हेतु अपना पक्ष समर्थन करने हेतु अनावेदक को किसी प्रकार की कोई सूचना / नोटिस नहीं दी गई

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुपस्थिति आदेश पृष्ठ-अ

Rem  
प्रकरण क्रमांक... 5291-II/16 जिला... रीवा  
रामसुंदर/शोभा सिंह

(1)	(2)	(3)
<p>16.11.16</p> <p>(46)</p>	<p>अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ रीवा, जिला-रीवा(MOप्र0) ने अपने पत्र क्रमांक 294/16, दिनांक 11.11.16 द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 12.11.16 से अनिश्चित काल तक विधिक कार्यों से विरत रहते हुए अधिवक्तागण आन्दोलन में रहेंगे। आज दिनांक 16.11.16 को कोई अधिवक्तागण उपस्थित नहीं हुये है।</p> <p>अतः आज की पेशी पूर्ववत बढ़ाई जाती है।</p> <p>पेशी दिनांक 18.1.17</p>	<p>सदस्य</p> <p>नम्र उषा</p> <p>18/1/17</p>
<p>18.1.17</p> <p>m</p>	<p>कौन्सिलर के अतिरिक्त अन्य प्रकार से भी उपस्थित। उनके द्वारा प्रकरण नोट-प्रक कराने का अनुरोध किया। कौन्सिलर के अनुरोध पर प्रकरण नोट-प्रक में समाप्त किया जाता है। प्रकरण/राष्ट्रिय दिवस है।</p>	<p>सदस्य</p>

म  
श्री  
बा  
प्र